राजनीतिक समर्थकों के पीछे की क्रोनोलोजी

राजनीतिक दलों के अपने विशिष्ट समर्थक समूह होते हैं और समय समय पर वे उसके माउथ आरगन बनकर उसका प्रचार करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं और विरोधी दलों को और गैर समर्थकों को मुद्दों पर जवाब भी देते हैं। सोशल मीडिया के चलन के बाद यह सिस्टम बहुत ज्यादा बढ़ गया है।? इस चलन में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है और यह एक स्वस्थ लोकतंत्र में खुले संवाद के लिए आवश्यक भी है।

भारत में भी यह सब चलता रहता है। लेकिन कुछ अरसे से इसमें एक खतरनाक ट्रेंड आया है और वह है कि तर्क आधारित चर्चा प्रतिचर्चा नहीं होकर गाली गलौज और कुतर्क वाली भाषा का इकतरफा इस्तेमाल होने लगा है और अफ़सोसनाक तो यह है कि यह सब पढ़ा लिखा तबका कर रहा है और उसमें से भी ज्यादा संख्या भाजपा और संघ से जुड़े लोगों की है। उनकी भाषा से ऐसा लगता है कि प्रति सुबह उन्हें मार्केटिंग टीम की तरह दिन भर की कार्ययोजना समझा दी जाती है और मैटर दे दिया जाता है। उनके संग संग राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी उसी भाषा में ताल देने लग जाता है।

इससे कुछ कमजोर तरीके से यही कार्य भाजपा विरोधी गुट और यूट्यूब चैनल वाला समानांतर मीडिया करता है किंतु संख्या और प्रभाव में वह बहुत हल्का दिखाई देता है। हालांकि उनकी भाषा भाजपा वालों से कुछ ज्यादा सभ्य रहती है।

अब सवाल यह है कि देश में यह कुतर्क वाली उद्दंड भाषा बोलकर सत्तारूढ़ दल का डमरू बजाने वाले लोग और समूह कौन हैं। कौन हैं जो सभ्य भाषा की मर्यादा को ताक पर रखकर विषवमन कर रहे हैं। निःसंदेह इनमें संघ के पूर्णकालिक कार्यकर्ता कतई नहीं हैं। उनकी अपनी एक मर्यादा और संस्कृति होती है और वे इस स्तर पर नहीं आते।

अटल आडवाणी युग के भाजपाई भी नहीं हैं। यदि बगैर हिचक के कहा जाये तो इनमें सर्वाधिक तादाद संघी नहीं अपितु अपने आपको संघ समर्थक कहने वाले युवा और रिटायर्ड व्यक्ति हैं या वे हैं जो 2014 के बाद मोबाइल का बटन दबा कर भाजपा के मेंबर बने हैं और जिनका इतिहास और धर्म विषयक ज्ञान व्हाट्सएप युनिवर्सिटी तक ही सीमित है या फिर वो लोग हैं जो दूसरे दलों से भाजपा में आये हैं और अपनी वफादारी सिद्ध करने में लगे हैं या फ़िर वो हैं जिन्हें भाजपा आईटी सैल वाले समझा कर चैनल्स पर बहस के लिए भेजते हैं। ये सब लोग आधुनिक भाषा में कहें तो टूल किट योजना का एक पुर्जा होते हैं।

अब इन सबमें एक समानता है। इनमें से ज्यादातर लोग सवर्ण वर्ग से संबंधित हैं । चाहें वो भाजपा प्रवक्ता हों, चैनल्स के एंकर हों या ट्रोलर्स हों। भाजपा के पक्ष में ये ही लोग विभिन्न तरीके के सही गलत अभियान चलाते हैं। देश की कुल आबादी का पंद्रह - बीस प्रतिशत हिस्सा रखने वाले ये लोग हमेशा की तरह इस बार भी देश का एजेंडा सैट करते दिखाई पड़ रहे हैं। अपने आपको पढ़ा-लिखा बताने के बाद भी इनमें से कुछ लोगों की ट्रोलर वाली और मूढ़ता वाली भाषा कभी कभी कोफ्त पैदा करती है।

ताज्जुब तो यह होता है कि व्यक्तिगत बातचीत में बेहद विनम्र और सभ्य दिखने वाले ये लोग जब भाजपा समर्थन और मुस्लिम - राहुल गांधी विरोध का मौका आता है तो हद दर्जे के असभ्य बनकर ओछे शब्दों और कुतर्क का इस्तेमाल करने लग जाते हैं। देश का माहौल इन जैसे लोगों ने ही विषाक्त कर रखा है। अपने आपको लेखक और साहित्यकार कहने वाले लोग भी इसमें ज्यादा आगे रहते हैं।

इसके विपरीत विपक्ष के लिये सोशल मीडिया में और टेलीविजन पर बैटिंग करने वाले लोग अधिकांशतः पिछड़े और दलित वर्ग से हैं किन्तु देश की जनसंख्या में तादाद में तीन गुना ज्यादा होने के बाद भी सवर्णों जितने मुखर नहीं हैं। हालांकि यूट्यूब वाले समानांतर न्यूज चैनल्स को चलाने वाले और भाजपा का कसकर विरोध करने वाले अधिकांश पत्रकार भी सवर्ण हैं किन्तु वहां पिछड़े वर्ग से भी काफी प्रभावशाली पत्रकार अपनी बात रखते दिखाई पड़ते हैं। टेलिविज़न चैनल्स पर विपक्षी दलों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकांश नेता दलित पिछड़े अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं और बेहद मजबूती से अपनी बात रखते आये हैं। किंतु कभी कभी यहां भी कहीं से टूल किट आ जाता है और सोशल मीडिया में एक ही डिजाइन की भाजपा विरोध की लहर चलने लगती है।

तो यह है क्रोनोलोजी पक्ष विपक्ष में चल रहे कटु वाद विवाद की।

अरविंद कुमारसम्भव

मप्र मानव अधिकार आयोग में नियुक्तियों पर विवाद

नेता प्रतिपक्ष की आपत्ति के कारण अटकी अध्यक्ष और न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति

इंदौर। मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्तियों का मामला विवादों में फंस गया है। दरअसल, आयोग में नियुक्तियों को लेकर कल शाम को सीएम हाउस में बैठक हुई। बैठक में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मानव अधिकार आयोग में अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्तियों को लेकर एतराज जताया और अपनी असहमति जताई। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव और विधानसभा अध्यक्ष भी मौजूद थे। नेता प्रतिपक्ष की आपत्ति के बाद अब मानव अधिकार आयोग में सिर्फ प्रशासनिक सदस्य के तौर पर एपी सिंह की नियुक्ति होगी। आपत्ति के कारण न्यायिक सदस्यों के 3 नाम होल्ड कर दिए गए हैं।

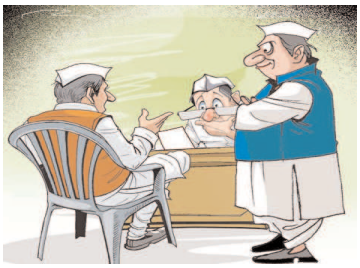

मप्र मानव अधिकार आयोग में नियुक्तियों को लेकर हुई बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर ने प्रशासनिक सदस्य के लिए एपी सिंह के नाम पर सहमति दी। सिंह मप्र विधानसभा के प्रमुख सचिव पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। लेकिन नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इस प्रक्रिया को संवैधानिक मानदंडों के खिलाफ बताते हुए लिखितआपत्ति दर्ज कराई और कहा कि जरूरत पड़ी तो वे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। सिंघार ने आरोप लगाया कि 22 राज्यों की तरह सार्वजनिक विज्ञापन जारी करने की प्रक्रिया यहां नहीं अपनाई गई।

इससे योग्य और अनुभवी अभ्यर्थियों को आवेदन का अवसर नहीं मिला और अन्य वर्गों का प्रतिनिधित्व भी नहीं हो पाया। वहीं मप्र में तीन साल से आयोग में अध्यक्ष पद रिक्त है। हालात ऐसे हैं कि जनसमस्याओं से जुड़े चार हजार से अधिक प्रकरण सुनवाई के इंतजार में अटके हुए हैं। आयोग में एक अध्यक्ष व दो सदस्य होते हैं। इसकी चयन प्रक्रिया शुरुआत से ही विरोध के चलते खटाई में पड़ती दिख रही है।

खास को उपकृत करने पद का नाम बदल दिया गया

नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि मानव अधिकार आयोग में न्यायिक सदस्य का पद है लेकिन, व्यक्ति विशेष को उपकृत करने के लिए वर्तमान में पद का नाम बदलकर प्रशासकीय सदस्य के तौर पर एक आवेदन बुलाया गया है। जो आवेदन बुलाए गए हैं, उनमें समाज के चुनिंदा वर्ग के लोगों के ही आवेदन शामिल किए गए हैं। विशेष लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए केवल उन्हीं लोगों को रिक्त पदों की सूचना गोपनीय तरीके से देकर उनसे ही आवेदन बुलवाए गए हैं।

बैठक में जानो से पहले नेता प्रतिपक्ष ने कहा इस पूरी प्रक्रिया को इतने गोपनीय और छुपाकर क्यों किया जा रहा है? सिंघार ने मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष के पद को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि एक ही व्यक्ति को बार-बार चयनित कर अध्यक्ष का प्रभार क्यों दिया जा रहा है? मानव अधिकार आयोग के एक्ट का खुला उल्लंघन सरकार कर रही है।

तीन साल से खाली है अध्यक्ष पद

आयोग के स्थायी अध्यक्ष पद पर नियुक्ति लंबे समय से अटकी हुई है। अक्टूबर 2022 में अध्यक्ष जस्टिस एनके जैन सेवानिवृत्त थे। तब से कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में पहले मनोहर ममतानी हुए और फिर राजीव कुमार टंडन को जिम्मेदारी सौंपी गई, लेकिन वे भी सितंबर 2024 में सेवानिवृत्त हो गए। वर्तमान में अध्यक्ष और दो सदस्यीय पद खाली हैं।

नेता प्रतिपक्ष ने लगाए आरोप

मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग में नियुक्तियों को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आरोप लगाया है कि प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट एवं हाईकोर्ट के निर्देशों की अनदेखी की गई। आयोग में रिक्तियों के लिए सार्वजनिक सूचना या विज्ञापन का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है।

स्वप्रेरणा से प्राप्त आवेदन का हवाला दिया, जो समान अवसर-पारदर्शिता के विपरीत है। सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल, केंद्रीय सतर्कता आयोग जैसे निकायों में खुले विज्ञापन और स्पष्ट मानदंड पर बल दिया।

समिति को भेजे गए नामों में अजा, अजजा का भी प्रतिनिधित्व नहीं है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का कहना है कि मैंने लिखित में आपत्ति दर्ज कराई है। फिर भी आयोग में नियमों के तहत नियुक्तियां नहीं की और सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को आवेदन करने के अवसर नहीं दिए तो हाईकोर्ट जाएंगे।

बार काउंसिल का चुनाव गरीब वकील नहीं लड़ सकेंगे

नामांकन की फीस 1.25 लाख
- प्रचार में करोड़ों का खर्च
- चुनाव में राजनीतिक हस्तक्षेप?

इंदौर। स्टेट बार काउंसिल का चुनाव अब आम अधिवक्ता नहीं लड़ सकेंगे. बार काउंसिल का चुनाव लड़ने के लिए नामांकन फीस 1,25,000 रुपए निर्धारित की गई है। यह राशि वापस नहीं होगी। बार काउंसिल आफ इंडिया ने एक आदेश जारी किया है। जिसके अनुसार नॉमिनेशन फीस नॉन रिफंडेबल 1।25 लाख रुपए तय कर दी गई है। 25 सितंबर को बार काउंसिल आफ इंडिया के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के हस्ताक्षर से यह आदेश जारी हुआ है। इस आदेश में कहा गया है, 31 जनवरी 2026 तक सभी स्टेट बार काउंसिल के चुनाव करा लिए जाएं।

अधिवक्ताओं में रोष

इस आदेश की देश के अधिवक्ताओं के बीच बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया हो रही है। बार काउंसिल के चुनाव में अधिवक्ता मतदान करते हैं। बार काउंसिल के चुनाव में जो अभ्यर्थी खड़ा होता है।उसे प्रदेश भर में घूम-घूम कर अपने लिए प्रचार करना पड़ता है। बार काउंसिल का चुनाव लड़ने के लिए अभी ?25000 की फीस निर्धारित थी। चुनाव जीतने पर यह राशि वापस कर दी जाती थी। जो प्रत्याशी चुनाव हार जाते थे। उनकी राशि जप्त हो जाती थी।

नए आदेश के तहत सभी उम्मीदवारों को निर्धारित 1,25,000 जमा करना होगी। जीते या हारें,यह राशि वापस नहीं होगी। जिसके कारण बढ़ी हुई फीस का विरोध बड़े पैमाने पर शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश बार काउंसिल के अध्यक्ष राधेलाल गुप्ता ने बढ़ी हुई नामांकन फीस को लेकर असहमति जताई है। उन्होंने कहा, यह फीस बहुत ज्यादा है। इतनी फीस भरकर चुनाव लड़ना हर किसी अधिवक्ता के लिए संभव नहीं होगा। इस संबंध में जल्द ही बार काउंसिल आफ इंडिया को पत्र लिखकर विरोध दर्ज कराया जाएगा।

पूर्व जज बीपी शर्मा ने कहा है। बढ़ी हुई फीस अधिवक्ताओं को चुनाव लड़ने से वंचित कर देगी। यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। लोकतांत्रिक सिद्धांतों के विपरीत चुनाव लड़ने से अधिवक्ताओं को वंचित करने का प्रयास माना जा रहा है।

अधिवक्ता जब अपने ही अधिकारों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में वह अपने क्लाइंट के हितों की रक्षा कैसे कर पाएंगे। इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई है। देश भर में लाखों ऐसे अधिवक्ता हैं, जो गरीबों का बहुत कम फीस में मुकदमा लड़ते हैं। उनके सारे क्लाइंट गरीब होते हैं। गरीब पक्षकारों की फीस से वकीलों को अपना घर चलाना मुश्किल होता है। ऐसे में चुनाव लड़ने से एक बहुत बड़े समुदाय को वंचित करने की साजिश माना जा रहा है। जिला बार और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा भी इस आदेश का विरोध शुरू हो गया है।

राजनीति के शिकार हुए वकील

पिछले कुछ वर्षों में स्टेट बार काउंसिल और जिला बार संगठन में राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप शुरू हो गया है।एक राजनीतिक विचारधारा के लोग इन संगठनों पर कब्जा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। चुनाव में बड़े पैमाने पर राजनीतिक हस्तक्षेप होता है। चुनाव प्रचार में बड़ा पैसा खर्च किया जा रहा है। एक राजनीतिक दल द्वारा चुनाव के दौरान विशेष विचारधारा के उम्मीदवारों को समर्थन दिया जाता है। राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में मदद करते हैं।

वकील समुदाय द्वारा यह भी कहा जा रहा है।एक राजनीतिक दल से जुड़े हुए अधिवक्ताओं की नियुक्ति सरकारी वकील और जजों के रूप में किए जाने के कई मामले हैं। अब तो नोटरी जैसे लाइसेंस भी एक विचारधारा के वकीलों को ही मिलते हैं। इसको लेकर अधिवक्ता समुदाय में रोष फैलने लगा है।

मध्यप्रदेश में फिर दी गई फर्जी नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता, एनएसयूआई का आरोप

इंदौर। मध्यप्रदेश में लंबे समय से जारी नर्सिंग कॉलेज घोटाले के बीच 4 शासकीय नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता मिलने एनएसयुआई ने एक बार गंभीर सवाल उठाये है। आरोप है की दो बार सीबीआई जांच होने के बाद भी 2025-26 शैक्षणिक सत्र में कई फर्जी नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता दे दी गई है। इस कदम से प्रदेश में नर्सिंग शिक्षा की गुणवत्ता और भविष्य पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

21 शासकीय नर्सिंग कालेजों में केवल 4 कालेजों को मिली मान्यता

एनएसयूआई प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार ने कहा कि 2025-26 सत्र में कुल 33 नए नर्सिंग कॉलेज और 360 पुराने नर्सिंग कॉलेजों ने नवीनीकरण के लिए आवेदन किए थे।

इनमें लगभग 21 शासकीय नर्सिंग कॉलेज शामिल थे, लेकिन नर्सिंग काउंसिल ने इनमें से सिर्फ 4 शासकीय नर्सिंग कॉलेजों को ही मान्यता प्रदान की है, वहीं 17 शासकीय नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता नहीं दी गई जिसमें भोपाल का भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर (बीएचएमआरसी) और पंडित खुशीलाल नर्सिंग कालेज भी शामिल है, जिन्हें मान्यता नहीं दी गई। एनएसयूआई ने 13 शासकीय नर्सिंग कॉलेजों की फैकल्टी और अन्य अनियमितताओं पर सवाल उठाए थे।

उनका कहना है की इसके विपरीत, निजी नर्सिंग कॉलेजों के मामले में बेहद चौंकाने वाला रवैया अपनाया गया। जीएनएम नर्सिंग के 231 कॉलेजों और बीएससी नर्सिंग के 188 कॉलेजों को मान्यता दे दी गई है, जबकि इनमें से कई कॉलेज नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं और फर्जी फैकल्टी नियुक्त कर संचालन किया जा रहा है।

रवि परमार ने आगे कहा कि एनएसयूआई ने शासकीय और निजी नर्सिंग कॉलेजों की फैकल्टी व अन्य गंभीर अनियमितताओं को लेकर नर्सिंग काउंसिल को विस्तृत शिकायतें सौंपी थीं। लेकिन हैरानी की बात है कि काउंसिल ने शासकीय नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता रोक दी और दूसरी ओर निजी कॉलेजों को अनियमितताओं और फर्जी फैकल्टी की शिकायतों के बावजूद मान्यता दे दी।

यह सीधा-सीधा भेदभाव है। आखिर नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रार को निजी नर्सिंग कॉलेजों से इतना लगाव क्यों है।

हाजी मोहम्मद हारून लगातार चौथी बार निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए

जमीयत उलमा मप्र की कार्यकारिणी समिति की चुनावी बैठक सम्पन्न

इंदौर। जमीयत उलमा मध्यप्रदेश की कार्यकारिणी समिति की चुनावी बैठक मंगलवार को राजधानी भोपाल में हुई। बैठक में सर्वसम्मति से हाजी मोहम्मद हारून को एक बार फिर संगठन का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। यह लगातार चौथी बार है जब उन्होंने यह पद संभाला है। जमीयत के मीडिया प्रभारी हाजी इमरान ने बताया कि प्रांतीय चुनाव दिल्ली मुख्यालय से आए केंद्रीय पर्यवेक्षकों की देखरेख में सम्पन्न हुआ।

इस अवसर पर बड़ी संख्या में प्रदेशभर से कार्यकारिणी सदस्य मौजूद रहे। चुनाव प्रक्रिया में पर्यवेक्षक के तौर पर जमीयत उलमा के कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। इनमें जनाब कारी मोहम्मद यामीन (नाज़िम-ए-आला, पश्चिमी यूपी), जनाब अतीकुर्रहमान कुरैशी (संयोजक, गुजरात), मौलाना अमीनुल हक़ अब्दुल्ला उसामा (उपाध्यक्ष, उत्तरप्रदेश), मौलाना अब्दुल जब्बार पाशा और मौलाना मोहम्मद अज़हरुद्दीन शामिल रहे।

उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष का भी हुआ चुनाव–सभा में चार उपाध्यक्ष और एक कोषाध्यक्ष का भी चयन किया गया। इनमें मुफ्ती आजम अब्दुर्रहीम कासमी (भोपाल), मौलाना हाफिज तैय्यब खरगोन (खरगोन), सुहैल मिर्जा एडवोकेट (आष्टा) और मुनीर अहमद (इंदौर) उपाध्यक्ष चुने गए।

साइकिल से भोपाल पहुंचेंगे भू-अर्जन विरोधी किसान

इंदौर–उज्जैन ग्रीन फील्ड कॉरिडोर, पीथमपुर इंडिस्ट्रयल कॉरिडोर का विरोध

इंदौर। प्रदेशभर के किसान इन दिनों भू-अर्जन को लेकर विरोध कर रहे हैं, जिसमें उज्जैन सिंहस्थ में शामिल की जाने वाली जमीनों से लेकर इंदौर-उज्जैन ग्रीन फील्ड कॉरिडोर, पीथमपुर इंडिस्ट्रयल कॉरिडोर के अलावा प्राधिकरण द्वारा घोषित की जाने वाली टीपीएस योजनाओं, इंदौर-बुधनी रेल लाइन सहित अन्य प्रोजेक्टों का विरोध हो रहा है।

भू-अर्जन के अलावा स्मार्ट मीटर लगाने, सोयाबीन के भाव बढ़ाने सहित अन्य मांगों को लेकर जन अधिकार किसान यात्रा निकाली जा रही है। 3 अक्टूबर को पीथमपुर से ये किसान साइकिलों पर सवार होकर इंदौर होते हुए देवास, सीहोर से भोपाल पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री निवास पर अपना विरोध दर्ज करेंगे।

किसान नेता हंसराज मंडलोई ने बताया कि केंद्र एवं प्रदेश सरकार की किसान विरोधी नीतियों के कारण प्रदेश का किसान बर्बाद हो रहा है। इसके विरोध में भूमि अधिग्रहण पीड़ित किसानों के परिवारों का युवा वर्ग इसके खिलाफ खुलकर मैदान में आया है और जन अधिकार किसान यात्रा 3 अक्टूबर को युवा किसान पीथमपुर से निकालेंगे, जो सुबह 9 बजे शुरू होकर इंदौर, देवास, सीहोर से भोपाल तक साइकिल से पहुंचेगी और मुख्यमंत्री निवास पर विरोध दर्ज करने के साथ कृषि मंत्री शिवराज के यहां भी युवा किसान पहुंचेंगे और केंद्र एवं प्रदेश सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाएंगे। हंसराज मंडलोई ने बताया कि जन अधिकार किसान यात्रा पीथमपुर क्षेत्र के युवा किसान नेता संदीप रघुवंशी के नेतृत्व में पीथमपुर से प्रारंभ होगी। इसके लिए युवा किसान गांव-गांव संपर्क कर रहे हैं और किसान न्याय यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण दे रहे हैं। प्रभावित किसानों ने मांग की कि आउटर रिंग रोड इकोनामिक कॉरिडोर पीथमपुर, सिंहस्थ कुंभ मेला क्षेत्र विक्रमपुरी उद्योग नगरी उज्जैन जैसे किसान विरोधी प्रोजेक्ट की समीक्षा हो एवं इंदौर-बुधनी रेलवे लाइन एवं इंदौर-मनमाड़ रेलवे लाइन के किसानों को बाजार मूल्य से चार गुना मुआवजा दिया जाए।

कार्टून कोना...

कटाक्ष

इसलिए.. वे अनमने हैं

तानों के तीर तने हैं।
इसलिए वे अनमने हैं।

तन -
पहले से छलनी है।
मिर्च -
ज़ख्म पर मलनी है।

मन में खुश आलपिनें हैं -
इसलिए वे अनमने हैं।

पांवों में -
रिसते छाले।
हाथ हैं -
फफोले वाले।

रास्ते भी किरच सने हैं -
इसलिए वे अनमने हैं।

पत्थरों के -
घर हमारे।
जिनमें -
शीशों के द्वारे।

घरों में गुम बचपने हैं -
इसलिए वे अनमने हैं।

सांसें भी -
रहन रखी हैं।
ज़िंदगी -
कहीं न दिखी है।

दुःखद ये झुनझुने हैं -
इसलिए वे अनमने हैं।

अशोक आनन
मक्सी